



लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी चेतन देवड़ा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या/86/2019 (सू.अ.)
पंजीयन दिनांक:- 14.10.2019

श्री रूपलाल पिता हरलाल अहीर निवासी मोरवन तहसील डूंगला, वाया भादसोड़ा

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, डूंगला

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम-2005



निर्णय

दिनांक 05.11.2019

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, डूंगला के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 16.09.2019 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 86/2019/(05.11)/594 दिनांक 14.10.2019 से सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, डूंगला को दिनांक 05.11.2019 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 05.11.2019 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

अपीलार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसे सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, डूंगला द्वारा बाकी सभी

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

सूचनाएँ उपलब्ध करा दी गई हैं परन्तु रजिस्ट्री की नकल जो की सन् 2015 से सन् 2017 के बीच डाली ने श्री अमरसिंह पिता प्रभूलाल या श्री अरविन्द कुमार पिता अमरसिंह के नाम कराई है उसकी प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई है अतः रजिस्ट्री की नकल दिलाने का श्रम करावें।


सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, डूंगला ने उक्त प्रकरण में आदिनांक तक कमेंट्स प्रस्तुत नहीं किये।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील एवं उसके संलग्न अनुलग्नकों तथा जवाब का अवलोकन कर उस पर मनन किया जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन से राजस्व विभाग एवं पंजीयन विभाग दोनों से संबंधित सूचनाएँ चाही गई हैं तथा अपीलार्थी को सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, डूंगला द्वारा रजिस्ट्री को छोड़कर, उसके द्वारा वांछित राजस्व विभाग से संबंधित सभी सूचनाएँ उपलब्ध कराई जा चुकी है।

किन्तु जहां तक श्री अमरसिंह पिता प्रभूलाल या श्री अरविन्द पिता प्रभूलाल के नाम रजिस्ट्री की प्रति उपलब्ध नहीं कराने का प्रश्न है वहां स्पष्ट करना चाहेंगे कि उक्त दस्तावेज पंजीयन से संबंधित है तथा तहसील डूंगला में पंजीयन संबंधी कार्य हेतु अलग से उप पंजीयक नहीं होकर तहसीलदार, डूंगला द्वारा ही उप पंजीयक का कार्य सम्पादित किया जाता है। यहां यह उल्लेखनीय है कि यह कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) का अपीलीय प्राधिकारी होकर लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर ही अपील ग्रहण करता है।

चूंकि तहसीलदार, डूंगला द्वारा अपीलार्थी को राजस्व विभाग से संबंधित सूचनाएँ उपलब्ध कराई जा चुकी है एवं उप पंजीयक, डूंगला के विरुद्ध प्रस्तुत अपील पर इस कार्यालय द्वारा सुनवाई नहीं की जा सकती है। अतः अपीलार्थी को पंजीयन संबंधित सूचनाएँ चाहने हेतु संबंधित अपीलीय प्राधिकारी महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,




लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)



प्रकरण संख्या 86/2019 (सू.अ.)
श्री रूपलाल अहीर निवासी मोरवन तहसील डूंगला बनाम सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, डूंगला

राजस्थान, अजमेर के यहां अपील प्रस्तुत करने के निर्देशों के साथ अपील निस्तारित की जाती है।



(चेतन देवड़ा)

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्र./सरिश्ता/प्र.सं./86/2019(सू.अ.)/675

दिनांक:- 06 / 11 / 2019

प्रतिलिपि:-

1. सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, डूंगला
2. श्री रूपलाल अहीर पिता श्री हरलाल अहीर निवासी मोरवन, तहसील डूंगला, वाया भादसोडा, जिला-चित्तौड़गढ़

(चेतन देवड़ा)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

